

एमसीएफ में हो गया खेल, नए ज्वाइंट कमिशनर की विवादास्पद नियुक्ति

पेज एक का शेष

आए। सीमा ने सीधा सीएम से शिकायत की। जब भाजपा विधायक ने प्रशांत अटकान के तबादले के लिए जोर लगाया तो अटकान अदालत से स्टे आर्डर ले आए। उसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर सील करने और तोड़फोड़ का अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान कुछ मकानों-दुकानों की सील खुलने पर वो विवाद में भी आए लेकिन सीमा और अटकान आमने-सामने अड़े रहे। इस वजह से निचले स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी खेमबदी कर ली, कुछ सीमा के साथ हो गए तो कुछ अटकान के विश्वासपत्र बन गए। बहरहाल, प्रशांत अटकान इस समय राजनीतिक भूमिफिया और अवैध फॉर्म हाउस मालिकों की लॉबी को पूरी तरह चुम्ब रहे हैं। इसलिए एक सामान्य सा दिखाई देने वाला तबादला आदेश पूरा एक खेल है। हाल ही में अरावली जोन में बनाए जा रहे उन्नजवल फॉर्म के खिलाफ भी अटकान ने एफआईआर कराई थी। आरोप है कि उन्नजवल फॉर्म में एक केन्द्रीय मंत्री के रिश्तेदार का भी पैसा लगा है। सूत्रों ने बताया कि एक अन्य भाजपा नेता ने अरावली जोन में कई दुकानें अवैध रूप से बनाना शुरू किया तो अटकान पर ऊपर से दबाव डलवाकर कर्मावाई से रोक दिया गया। इसमें एक पावरफुल भाजपा सांसद के रिश्तेदार का भी नाम आया था।

फॉर्म हाउस और बाकी जमीनें बचाएगा नया अफसर

खोरी-लकड़पुर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। वहां बंधुआ मुक्ति मोर्चा हजारों लोगों को उजाड़े जाने से बचाने के लिए पैरवी कर रहा है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारियों ने ज्वाइंट कमिशनर प्रशांत अटकान से मुलाकात कर उन्हें अरावली में बने अवैध फॉर्म हाउसों, आश्रमों, मर्दियों, क्रिकेट अकादमियों, शिक्षण संस्थानों का ब्यौरा दिया और कहा कि गरीब उजाड़े जा रहे हैं तो ये अमीर लोग कैसे बच सकते हैं। ज्वाइंट कमिशनर प्रशांत अटकान ने अरावली जोन के तमाम फॉर्म हाउसों, यूनिवर्सिटी, कॉलेज मालिकों, आश्रम वालों और अन्य बिल्डिंग वालों को तलब कर लिया। उन्होंने संबंधित थाने की पुलिस को इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने दो-तीन फॉर्म हाउसों पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अपने हाथ खींच लिए। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत अटकान से न सिर्फ कुछ नेताओं, उनके समर्थकों बल्कि कई अफसरों ने कहा कि वे फॉर्म हाउस मामले में ज्यादा पंगेबाजी न करें। प्रशांत अटकान ने इन सलाहों को दरकिनार कर अपना अभियान जारी रखा। सूत्रों के मुताबिक आला अफसरों के कान तब खड़े हुए जब कुछ फॉर्म हाउसों को लेकर उन्होंने कानूनी राय तक मांग ली। अभी जब डीसी यशपाल यादव के फरीदाबाद नगर निगम का भी चार्ज था, वो अटकान के रवैए और काम से ज्यादा खुश नजर नहीं आए। इधर विधायक सीमा त्रिखा और पार्षदों की शिकायतें सीएम खट्टर के पास लगातार पहुंच रही थीं। भाजपा सूत्रों ने सीएम से यह तक कहा कि यह अधिकारी मुझे और पार्टी को फरीदाबाद में बबोद कर देगा।

सीमा त्रिखा का नजदीकी अफसर

समझा जाता है कि नए ज्वाइंट कमिशनर जितेन्द्र यादव की नियुक्ति बहुत सोच समझकर एमसीएफ में की गई है। इसे इस तरह समझें। जितेन्द्र यादव बड़खल क्षेत्र के एसडीएम भी रह चुके हैं। उस दौरान वह विधायक सीमा के बहुत नजदीक थे। बड़खल तहसील में सीमा का कोई भी गलत-सही काम नहीं रुकता था। जब उनका तबादला होने लगा तो सीमा ने जितेन्द्र यादव को फरीदाबाद में ही रखने का आग्रह सीएम से किया। इसके बाद उन्हें हूडा में संपदा अधिकारी लगाया गया और अब सीमा की ही सलाह पर एमसीएफ में नया पद बनाकर उन्हें यहां भी लाया गया। सीमा ने सीएम खट्टर को सलाह दी थी कि ज्वाइंट कमिशनर बड़खल के नाम से अलग पद बनाया जाए लेकिन हरियाणा नगर निगम एकट इसकी इजाजत नहीं देता है तो उस प्रस्ताव की जगह यह हल निकाला गया। प्रशांत अटकान से छुटकारा पाने के लिए यह पूरा खेल रचा गया। इसीलिए जितेन्द्र यादव के पद को अस्थायी भी रखा गया। प्रशांत अटकान का स्टे जब कभी हटेगा तब अस्थायी वाला पद भी खत्म हो जाएगा।

लॉकडाउन के नाम पर मचाई पुलिस ने लूट, असली जिम्मेदार हैं उच्चाधिकारी

फरीदाबाद (म.प्र.) सड़कों पर मास्क व पास का धंधा इन दिनों पुलिस की लूट कमाई का एक बढ़िया साधन साबित हो रहा था। 'हूडा' सेक्टर की एक मार्केट में तो पुलिस ने हर दुकान से चार-चार हजार तक की उगाही केवल इसी बात की कर ली कि वे उन्हें समय की पाबंदी से मुक्त रखेंगे। दो-तीन सैलून वालों ने साफ इन्कार करते हुए कह दिया कि वे तो सरकार द्वारा निर्धारित समयानुसार ही चलेंगे तो उन्हें 'देख लें' तक ही धमकी दे डाली।

इसी तरह, एक 15 सेक्टर निवासी ने खाली बैठे किसी मजदूर-मिस्त्री को अपने फॉर्म हाउस पर ट्यूबवैल का काम करने भेजा तो तत्काल पुलिस पहुंच गयी, जो पुलिस किसी वारदात पर पहुंचने में घंटों लगा देती है, इस ट्यूबवैल स्थल पर मिन्टों में पहुंच गयी। मजे की बात यह रही कि मजदूर-मिस्त्री को डराने-धमकाने के बाद थाने ले जाने की अपेक्षा कह दिया कि खेत मालिक को फोन करे कि वह 30 हजार लेकर थाने पहुंच जाये। लेकिन मालिक भी पूरा खेला-खाया धैंठ निकला, उसने मजदूर से कह दिया कि वह चिंता न करे, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो करले, जमानत करा लेंगे। बेचारे पुलिस वाले अपना सा मुँह लेकर रह गये।

उक्त दो किसे तो उदाहरण मात्र हैं, वरना सारे जिले में यही सब कुछ हो रहा है। यह असंभव है कि इन्हें चौड़े में खुले आम मची यह लूट जिले भर में बैठे तमाम उच्चाधिकारियों को दिखाई न देती हो। दरअसल छोटे पुलिसकर्मियों की सुपरविजन करने वाले उच्चाधिकारियों की मर्जी एवं आशीर्वाद के बिना किसी छोटे कर्मी की हिम्मत नहीं कि वह इस तरह लूट मचा सके। असल बात तो यह है कि छोटे कर्मी तो बदनाम ज्यादा होते हैं मोटा माल तो पर्दे के पछे बैठे उच्चाधिकारी, केवल अपनी आंखें बंद रखने के बदले, मारते हैं। जनता ने अपने जिन प्रतिनिधियों को चुन कर अफसरशाही की लगाम कसने के लिये भेज रखा है, वे खुद भी इसी लूट में साझेदार होते हैं।



ज्वाइंट कमिशनर प्रशांत अटकान : हर चुनौती का मुकाबला

सुप्रीम कोर्ट का अजीबोगरीब फैसला...

पेज एक का शेष

आश्रम क्यों बचाए जा रहे हैं। इनके मालिकों ने जिनसे जमीन खरीदी थी क्या वे लोग अरावली की इस जमीन के वास्तविक मालिक थे। हरियाणा सरकार ने किस आधार पर सिद्धादाता आश्रम, राधा स्वामी सत्संग को यहां पर जमीन आवंटित कर दी। क्या झुग्गी-झोपड़ी या मकान बनाकर रह रहे गरीब और मेहनतकश लोगों के लिए अलग कानून है और फॉर्म हाउस मालिकों और मोटी फॉर्स लेने वाले शिक्षण संस्थाओं के लिए अलग कानून है। मजदूर मोर्चा ने इससे पहले भी इस मामले को लगातार उठाया है।

सबसे बड़ी भूमाफिया हरियाणा सरकार

हरियाणा सरकार ने पंजाब भूमि संरक्षण कानून (पीएलपीए) में बदलाव कर फरीदाबाद-गुड़गांव में अरावली की जमीनों को लुटा दिया। इनमें वन विभाग की जमीन शामिल है। करीब 60,000 एकड़ अरावली की जमीन प्रॉपर्टी डीलरों और खनन माफिया को सौंप दी गई। अभी भी अरावली में करीब 50,000 एकड़ ऐसी जमीन हैं जिसे कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। क्योंकि हरियाणा सरकार इस जमीन को वन क्षेत्र का दर्जा देने को तैयार नहीं है। अगर 50,000 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो यह जमीन भी बच सकती है। मांगर इलाके में जंगल की जमीन पूरी तोर पर वन क्षेत्र है लेकिन हरियाणा सरकार इसे वन क्षेत्र घोषित नहीं कर रही है। फरीदाबाद-गुड़गांव के पर्यावरण कार्यकर्ता लगातार मांग करते रहे हैं कि मांगर में 677 एकड़ और बफर जोन की 1200 एकड़ जमीन को वन क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन हरियाणा सरकार फाइल पर कुंडली मारकर बैठी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इस इलाके में पहुंचे थे, तब भी यह मांग रखी गई थी। उन्होंने वादा भी किया था कि लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ।

इसकी वजह है राजनीतिक। अरावली में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। वन क्षेत्र घोषित होते ही अवैध खनन की दुकानें बंद हो जाएंगी। खनन मंत्री और माइनिंग डिपार्टमेंट इस अवैध धंधे को चैनलाइज करने के लिए ही बनाए गए हैं। किसी भी दल की सरकार हो, सभी राजनीतिक दलों के नेता, सांसद, विधायक और मंत्री इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं। करतार भड़ाना, अवतार भड़ाना ने अरावली का दोहन कर अरबों की समर्पणि बनाई। जब इनका सितारा डूबा तो अब दूसरे गूजर नेताओं ने इनकी जगह ले ली। पिछले दिनों मजदूर मोर्चा में ही एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक केन्द्रीय मंत्री के संरक्षण में यहां उन्नजवल फॉर्म हाउस का बोर्ड लगाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में एफआईआर भी हुई लेकिन मामला वर्ही के बहुत से दुकानों में ही एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक केन्द्रीय मंत्री के संरक्षण में यहां उन्नजवल फॉर्म हाउस का बोर्ड लगाकर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में एफआईआर भी हुई लेकिन मामला वर्ही के बहुत से दुकानों में ही एक तस्वीर प्रकाशित हुई थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह एक केन्द्रीय मंत्री के संरक्षण में यहां उन्नजवल फॉर्म हाउस का बोर्ड लगाकर अवैध निर्माण किया जा रह